"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी 2011—फाल्गुन 5, शक 1932

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-4/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) एवं (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जगदलपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अनुमोदन करती है. उक्त विकास योजना अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है.

जगदलपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयींन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

(i) कलेक्टर, जिला जगदलपुर.
(ii) आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर.
(iii) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर.

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) कें प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन दिनांक से जगदलपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.